प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2017 को समाप्त वर्ष हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में 2012-13 से 2015-16 तक संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर के निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम/चिकित्सा क्लीनिक, मेडिकल कॉलेजों/अनुसंधान संस्थानों, डायग्नोस्टिक सेंटर, रोग विज्ञान प्रयोगशालाओं और अन्य चिकित्सा आपूर्ति एजेंसियों/भण्डारों के निर्धारण की निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उन उदाहरणों का उल्लेख किया गया है जो जुलाई 2016 से नवम्बर 2016 की अवधि के दौरान आयोजित 2012-13 से 2015-16 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा जांच में देखे गए।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

लेखापरीक्षा विभाग, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के प्रत्येक स्तर पर राजस्व विभाग-केंद्रीय बोर्ड, प्रत्यक्ष कर से प्राप्त सहयोग के लिये आभार व्यक्त करता है।